राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(14)ग्रावि / नरेगा / वेज / 2010 — जयपुर, दिनांक : 2 APR 20

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

2 APR 2012

विषय :–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2012 से अकुशल श्रमिक मजदूरी दर में परिवर्तन बाबत।**
संदर्भ :–**केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.03.2012**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजनान्तर्गत नियोजित किए जाने वाले अकुशल शारीरिक कर्मकारों को दी जाने वाली मजदूरी दर में 01 अप्रेल, 2012 से संशोधन कर राज्य के लिए यह दर रू. 133/– प्रति दिवस की गई है।

अतः इस संबन्ध में यह निर्देश जारी किए जाते है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 01 अप्रेल, 2012 से नियोजित किए जाने वाले अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर का भुगतान रू. 133/– प्रति दिवस की दर से किया जावे।

भवदीय

2/4/12
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर / जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस